राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ सिविल रिट पिटीशन नम्बर 5656/2001

शिव कुमार दीक्षित

बनाम

राज. विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर व अन्य

आदेश दिनांक जनवरी 30, 2009

उ प स्थि त

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री सुरेश गोयल, अधिवक्ता याचिकाकर्ता
श्री विरेन्द्र लोढा, अधिवक्ता अयाचीगण

1. याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका अयाचीगण द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.01.1985 को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की है, जिसके अन्तर्गत याचिकाकर्ता का सेवा अनुबंध समाप्त किया गया है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश गोयल का तर्क है कि याचिकाकर्ता निरन्तर अयाचीगण के यहां अभ्यावेदन प्रस्तुत करता रहा तथा ऐसे अभ्यावेदन का उत्तर उनकी और से दिया जाता रहा, इस बाबत उन्होंने अन्तिम रूप से दिनांक 26.02.1999 एवं 05.08.1999 को अयाचीगण की और से प्रस्तुत जवाब की और न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

3. विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के उपरान्त मैं यह पाता हूं कि विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि मात्र अभ्यावेदन प्रस्तुत करने से ऐसे विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता है, जहां पर कि दिनांक 23.01.1985 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका वर्ष 2001 में प्रस्तुत की गई हो।

4. मैं इस रिट याचिका में कोई सार नहीं पाता हूं। अत: रिट याचिका निरस्त की जाती है।

(न्या0 मोहम्मद रफीक)

बीएलजैन